

# फर्द अहकाम




(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

किशनलाल बनाम छोटेलाल

किस्ममुकदमा दावा 53,188 आर.टी.ए.

मु0 नं0.....1/22...सन-2025

शीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">2025 77</div>	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1.02.2025	<p>दावा वकील वादी श्रीमती गुड्डी नायक, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर हो। वाद में अंकित विवादित आराजी पर कैवियट दर्ज रजिस्टर है। अतः कैवियटकर्ता पक्षकार व प्रतिवादीगण को जयें रजि0 नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 17.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मालाखेडा                 </p> <p>17/2/25                      वकील वादी जयें प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड A.D तलबी का अंतिम मौमा दिया जाता है। दिनांक 20/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मालाखेडा (अलवर)                 </p> <p>20/02/25                      पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 क्रमों में दाखल है। आह्वान दिनांक 01/03/25 को पेश हो।</p> <p>11/5/25                      पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की अपात्र दिवारी जरी किन्तु वकील वादी/वादी स्थिति अज्ञित अदालत नहीं आये।                      अतः वकील वादी की अनु० में दावा अग्रज एजरी/अग्रज पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसल होकर नम्बर ले क्रम है। बाद में जमा लेख अपडा है।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मालाखेडा (अलवर)                 </p>	